सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00010

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 04/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री दयाशंकर चनानी, (नमूना विक्रेता)
मै0 जय हनुमान एन्टरप्राईजेज, पटेल नगर, 571, टावर रोड़, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।
2. श्री मनोज कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद चनानी, (मालिक)
मै0 जय हनुमान एन्टरप्राईजेज, पटेल नगर, 571, टावर रोड़, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26 धारा (2)(2)/52

निर्णय दिनांक : 25.03.2019

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.03.2018 को दोपहर बाद 2.00 बजे श्री राजेश कुमार सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म मै0 जय हनुमान एन्टरप्राईजेज, पटेल नगर, 571, टावर रोड़, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर पहुचे। वहां पर श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री दयाशंकर उपस्थित मिला। निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर गोदाम का निरीक्षण किया तो उपरोक्त गोदाम में 68 सील्ड पैट बोतल , प्रत्येक सील्ड पैट बोतल में 910 ग्राम **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए पाया। मिलावट का शक होने पर नमूना जांच के–897 के नमूनीकरण के लिए इसमें से 4 नग सील्ड पैट बोतल **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** खरीदा जिसकी कीमत 340/–रूपये (अखरे तीन सौ चालीस रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री अर्जुन स्वामी एवं श्री राजेश कुमार के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिराम वर्मा ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर –5ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर –5ए पर **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** विक्रेता हनुमान प्रसाद एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किय तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** चारो सील्ड बोतलो से चार नमूना भाग बनाए एवं उन पर लेबल चिपका कर एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–897** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–897** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया । नमूना विक्रेता को यह बताने के बाद वह चाहे तो नमूने का एक भाग किसी NABL LAB से जांच कराने के लिए आवेदन कर सकता है, चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/582/एक्ट/2018/677 दिनांक 11.04.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–897** **"Mustard oil (Jai Hanuman)" अमानक स्तर Misbranded Food** खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **हनुमान प्रसाद पुत्र श्री दयाशंकर चनानी मै0**, जय हनुमान एन्टरप्राईजेज, पटेल नगर, 571, टावर रोड़, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26 धारा (2)(2)/52** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 11.03.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री हनुमान प्रसाद पुत्र दयाशंकर चनानी (नमूना विक्रेता) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नमूना जांच हेतु दिनांक 23.03.2018 को लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Misbranded Food** पाया गया है। इसमें मेरी गलती हो गई जो मै स्वीकार करता हूँ। आईन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा व आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** का सैम्पल **के–897** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/582/ एक्ट/ 2018/677 दिनांक 11.04.2018 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26 धारा (2)(2)/52** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। ~~जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।~~

अभियुक्त श्री हनुमान प्रसाद पुत्र दयाशंकर चनानी (नमूना विक्रेता) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** का नमूना जांच हेतु दिनांक 23.03.2018 को लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Misbranded Food** पाया गया है। इसमें मेरी गलती हो गई जो मै स्वीकार करता हूँ। आईन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा व आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(1) की श्रैणी में आता है। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्तों हनुमान प्रसाद पुत्र श्री दयाशंकर चनानी (नमूना विक्रेता) पर **Misbranded Food, "Mustard oil (Jai Hanuman)"** विक्रय करने पर धारा 26**(2)(2)/52** के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 5000/–रूपये (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **"Mustard oil (Jai Hanuman)"**का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **"Mustard oil (Jai Hanuman)"** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर